नव भारत

राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

मुख्यमंत्री ने 300 करोड़ का प्रदान किया ऋण

चंबल बनेगा रोजगार का नया मुकाम : डॉ. यादव

पेटलावद/थांदला, 31 जुलाई. प्रदेश का चंबल क्षेत्र को रोजगार का नया मुकाम बनाया जाएगा.इसके लिए 14 हजार करोड़ से अधिक का एमओयू किया है.केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं से यहां के लोगों में समृद्धि आएगी.

यहां की बहनों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं.ये बातें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को झाबुआ जिले के थांदला में कहीं.वे यहां शासकीय महाविद्यालय कॉलेज ग्राउंड में प्रदेश स्तरीय स्व-सहायता समूहों का क्षमतावर्धन और ऋण वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.

सीएम डॉ. यादव ने प्रदेशभर के स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए 300 करोड़ का ऋण का वितरण किया.मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं.कामधेनु योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन के लिए 40 लाख रुपये तक की परियोजना पर 10 लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे महिलाओं की आय में

283.81 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण

झाबुआ में बनेगा खेल परिसर, होंगे अन्य विकास भी

उल्लेखनीय वृद्धि होगी.उन्होंने झाबुआ जिले के चारोलीपाड़ा में 70 करोड़ की लागत से आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय का भूमिपूजन किया.

मुख्यमंत्री ने थांदला प्रवास के दौरान जिले को विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी.उन्होंने विभिन्न विभागों के लगभग 174.64 करोड़ रुपये की लागत के 29 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया.इसके साथ ही लगभग 109.17 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण हुए 28 विकास एवं आधारभूत संरचना संबंधी कार्यों का लोकार्पण कर उन्हें जनता को समर्पित किया. झाबुआ में खेल परिसर के निर्माण, पीपलखूंटा में पद्मावती नदी के किनारे घाट निर्माण तथा थांदला में भी पद्मावती नदी तट पर घाट निर्माण की घोषणा की. महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सदैव झाबुआ जिले पर अपना विशेष स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखा है.उनके नेतृत्व में जिले को लगातार विकास कार्यों की सौगात मिल रही है और आज भी करोड़ों रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लाभ जिले को प्राप्त हुआ है.सांसद अनीता नागर सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष भानु भूरिया, प्रदेश प्रवक्ता कलसिंह भाबर सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही।

70 करोड़ की एमडी ड्रग्स तस्करी मामले में आरोपी की जमानत खारिज

- विशेष पीएमएलए कोर्ट ने आवेदन किया निरस्त
- जांच में गिरफ्तार वेद प्रकाश व्यास को राहत नहीं

नव भारत न्यूज

इंदौर, 31 जुलाई. करीब 70 करोड़ रुपए मूल्य की मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग्स तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी वेद प्रकाश व्यास को कोर्ट से राहत नहीं मिली है.

विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए) राजेंद्र कुमार पाटीदार की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. आरोपी की ओर से बीमारी का हवाला देते हुए जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था. मामला वर्ष 2021 में इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा की गई कार्रवाई से जुड़ा है. क्राइम ब्रांच ने उस समय करीब 70 किलोग्राम मेफेड्रोन (एमडी) जब्त की थी. जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी. ईडी ने 21 जुलाई को इस मामले में वेद प्रकाश व्यास को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था.

किसानों को नहीं होगी परेशानी : सारंग

भोपाल, 31 जुलाई. सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने शुक्रवार को मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर प्रदेश में मूंग एवं उड़द खरीदी, सहकारी बैंकिंग व्यवस्था, मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना और 'सहकारिता में सहकार' अभियान की प्रगति की समीक्षा की.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन मिशन मोड में किया जाए, ताकि किसानों और सहकारी संस्थाओं को अधिकतम लाभ मिल सके. मंत्री ने स्पष्ट कहा कि खरीदी केंद्रों पर किसानों को

मूंग खरीदी से सहकारी बैंकिंग तक मिशन मोड में काम करने के निर्देश

किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए तथा उड़द खरीदी के लिए पर्याप्त बारदाने और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं.

बैठक में गोदामों की कमी वाले क्षेत्रों में अंतर-जिला भंडारण की व्यवस्था करने, दुग्ध सहकारी समितियों में चरणबद्ध तरीके से माइक्रो एटीएम लगाने, सहकारी बैंकों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने और जमा राशि पर आकर्षक ब्याज योजनाएं लागू करने के निर्देश दिए गए. साथ ही सभी सहकारी समितियों के खाते सहकारी बैंकों में संचालित कराने और वित्तीय लेन-देन बढ़ाने पर जोर दिया गया.

शुभम वैली में 11 लाख देकर भी नहीं मिला प्लाट

- एक और व्यक्ति ने पुलिस को सौंपे डायरी, एग्रीमेंट
- धोखाधड़ी मामले में नाना पटवारी पर आरोप बढ़े

नव भारत न्यूज

इंदौर, 31 जुलाई. ड्रग्स, ऑनलाइन सट्टा और प्लाट धोखाधड़ी के मामलों में जांच के घेरे में आए नाना पटवारी और उसके साथियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. प्लाट के नाम पर ठगी का आरोप लगाते हुए एक और व्यक्ति ने राजेंद्रनगर थाने पहुंचकर पुलिस को डायरी और एग्रीमेंट सौंपे हैं.

शिकायतकर्ता का आरोप है कि शुभम वैली में प्लाट के लिए 11 लाख रुपए देने के बाद भी उसे न तो प्लाट मिला और न ही रकम वापस की गई. पुलिस का कहना है कि आरोपों की जांच के लिए संबंधित लोगों को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा. वहीं पुलिस को जानकारी मिली है कि शुभम वैली में प्लाट के नाम पर कथित धोखाधड़ी के कुछ और पीड़ित भी सामने आए हैं, जिनसे संपर्क कर उनके बयान और दस्तावेज लिए जा रहे हैं. एक व्यक्ति ने प्लाट से जुड़े दस्तावेज थाने में जमा कर शिकायत की है. मामले की जांच में इन दस्तावेजों को शामिल किया है, अन्य लोगों से भी जानकारी ली जा रही है.

नई शिकायत मिलने पर हुई कार्रवाई तेज

संजय महाजन नामक व्यक्ति ने थाने पहुंचकर प्लाट से जुड़े दस्तावेज पुलिस को दिए हैं. शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने शुभम वैली में प्लाट खरीदने के लिए राशि दी थी, लेकिन लंबे समय बाद भी उसे प्लाट नहीं मिला. इससे पहले भी एक युवती नाना पटवारी, भरत पटवारी और सुमित मंत्री के खिलाफ इसी तरह की शिकायत कर चुकी है. इस मामले में पुलिस पहले ही जांच शुरू कर चुकी है और तीनों से पूछताछ भी की जा चुकी है. अब नई शिकायत और दस्तावेजों को भी जांच में शामिल किया है.

चलती पुष्पक एक्सप्रेस में युवक ने लगाई फांसी, बीना पर उतारा शव

नव भारत न्यूज

बीना, 31 जुलाई. भोपाल से रवाना हुई पुष्पक एक्सप्रेस में गुरुवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक का शव जनरल कोच के शौचालय के बाहर खिड़की से फंदे पर लटका मिला. घटना की सूचना मिलते ही ट्रेन को बीना रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रोका गया, जहां जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया.

जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 12534 पुष्पक एक्सप्रेस रात करीब 10 बजे भोपाल से

रवाना हुई थी और ललितपुर इसका अगला निर्धारित ठहराव था. रात करीब 12 बजे ट्रेन गार्ड की नजर जनरल कोच के शौचालय के पास खिड़की से लटके युवक पर पड़ी. इसके बाद कंट्रोल रूम को सूचना दी गई और ट्रेन को बीना स्टेशन पर रोका गया.

एक नजर में

15 स्कूलों के वाहनों पर 2.78 लाख का जुर्माना

धार. जिले में परिवहन विभाग के विशेष जांच अभियान के दौरान 15 स्कूल वाहन विभिन्न नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित पाए गए. इनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए कुल दो लाख 78 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया. अभियान के दौरान कुल 53 स्कूल वाहनों की सघन जांच की गई, जिनमें से 15 वाहन विभिन्न नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए. इनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत चालानी कार्रवाई की गई.

बिना ओटीपी के दो खातों से डेढ़ लाख की ठगी

ग्वालियर. साइबर ठगी के दो मामलों में बदमाशों ने बिना किसी ओटीपी या फोन कॉल के दो बैंक खातों से डेढ़ लाख रुपये से अधिक की राशि निकाल ली. पुलिस ने दोनों मामलों में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.पुलिस के अनुसार पहला मामला हजीरा थाना क्षेत्र के बिरला नगर, चंदन नगर निवासी अनिल जादौन का है. उन्होंने शिकायत में बताया कि वह एक निजी अस्पताल में कार्यरत हैं. दो दिन पहले उनका मोबाइल साइबर ठगों ने कथित रूप से हैक कर लिया, जिसके बाद उनके बैंक खाते से 62 हजार रुपये निकाल लिए गए. घटना की जानकारी मोबाइल बंद होने के बाद मिली.

सीएमएचओ पर अदालत को गुमराह करने का आरोप

- 31 अस्पतालों की जांच पर हाईकोर्ट में नया मोड़
- अगली सुनवाई में फर्जी रिकॉर्ड पर होगी पड़ताल

नव भारत न्यूज

इंदौर, 31 जुलाई. शहर के 31 अस्पतालों की वैधता और नियमों के पालन को लेकर दायर जनहित याचिका में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई के दौरान नया मोड़ आ गया.

याचिकाकर्ता एडवोकेट चर्चित शास्त्री ने अदालत में दाखिल अपने प्रत्युत्तर (रिजॉइंडर) में सीएमएचओ पर भ्रामक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह करने तथा

नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों को बचाने का गंभीर आरोप लगाया है. इंदौर के अस्पतालों की वैधानिकता को लेकर दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट के पूर्व निर्देश के अनुसार याचिकाकर्ता एडवोकेट चर्चित शास्त्री ने अपना विस्तृत प्रत्युत्तर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया. प्रत्युत्तर में आरोप लगाया है कि सीएमएचओ डॉ. माधव हासानी द्वारा कोर्ट में पेश की गई जांच रिपोर्ट वास्तविक तथ्यों के अनुरूप नहीं है. याचिकाकर्ता का दावा है कि वास्तविक स्थिति छिपाकर ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिससे नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ अस्पतालों को राहत मिल सके. रिजॉइंडर के साथ याचिकाकर्ता ने ऐसे दस्तावेज भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का दावा किया है, जिन्हें उन्होंने कूटरचित बताया है.

हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

जबलपुर. नियमितिकरण व पदोन्नति में भेदभाव किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि पीएससी उत्तीर्ण नही करने वाले को पहले नियमितीकरण व पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए आवेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।खंडवा के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर पदस्थ डॉ सोमपाल सिंह की तरफ से याचिका दायर की गई.

इनका कहना...

मैं सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद नहीं था , इसलिए मामले की पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है.

-डॉ. माधव हासानी, सीएमएचओ

प्रधानमंत्री मोदी से मिले सांसद राहुल

नवभारत न्यूज

दमोह, 31 जुलाई . दमोह सांसद राहुल सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परिवार सहित सौहार्दपूर्ण मुलाकात की.

वीर राजा किशोर सिंह लोधी की प्रतिमा की भेंट

इस दौरान उन्होंने 1857 की क्रांति के वीर योद्धा एवं हिण्डोरिया रियासत के शासक राजा किशोर सिंह जूदेव लोधी की प्रतिमा प्रधानमंत्री को भेंट कर उनके शौर्य, बलिदान और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की जानकारी दी.सांसद राहुल सिंह ने प्रधानमंत्री को दमोह में प्रस्तावित राजा किशोर सिंह जूदेव लोधी की भव्य प्रतिमा के लोकार्पण समारोह में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया. उन्होंने बताया कि राजा किशोर सिंह 1842 और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानायक थे. 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने हिण्डोरिया की राजगढ़ी को तोपों से ध्वस्त कर दिया था और उन्हें जीवित या मृत पकड़ने पर एक हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. राहुल सिंह ने बताया

कि 1857 के विद्रोह के दौरान दमोह लगभग 10 माह तक अंग्रेजी शासन से मुक्त रहा.

रमेश साहू हत्याकांड: साक्ष्यों के अभाव में चार आरोपी बरी

07 आरोपी थे प्रकरण में

03 को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद

नव भारत न्यूज

इंदौर, 31 जुलाई . बहुचर्चित रमेश साहू हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए सात आरोपियों में से चार को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया. अदालत ने माना कि इन चारों के खिलाफ अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका.

वहीं, मामले में तीन अन्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार मिश्रा की अदालत ने सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण किया. अदालत ने पाया कि चार आरोपियों के खिलाफ प्रस्तुत साक्ष्य दोष सिद्ध करने की स्थिति में नहीं हैं, जिसके चलते उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी किया. दोषमुक्त हुए आरोपी कमल की ओर से अधिवक्ता अपूर्व जैन ने पैरवी की.

अभियोजन पक्ष चारों आरोपियों की संलिप्तता को संदेह से परे साबित नहीं कर सका. प्रारंभिक रिपोर्ट में घटनास्थल पर केवल तीन लोगों की मौजूदगी का उल्लेख था, अदालत ने सुनवाई के दौरान इन तथ्यों और जांच से जुड़े पहलुओं पर विचार किया.

साढ़े 10 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में टापू पर फंसे 4 युवक बचाए

नव भारत न्यूज

खंडवा, 31 जुलाई. जिले के जावर थाना क्षेत्र अंतर्गत हांडीकुंड में सुक्ता और आवना नदी के बीच स्थित टापू पर फंसे चार युवकों को लगभग साढ़े 10 घंटे तक चले अत्यंत चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू अभियान के बाद शुक्रवार तड़के सकुशल बाहर निकाल लिया गया.

गुरुवार शाम करीब 6 बजे पुलिस कंट्रोल रूम और थाना जावर से सूचना प्राप्त हुई थी कि अचानक जलस्तर बढ़ जाने से चार युवक नदी के मध्य टापू पर फंस गए हैं. चारों ओर से तेज जलधारा होने के कारण उनका खुद बाहर निकलना असंभव हो

गया था. घटना की सूचना मिलते ही एसडीईआरएफ खंडवा की टीम और कंपनी कमांडर रविंद्र महिवाल तत्काल घटनास्थल पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया. प्रारंभिक प्रयास में अत्यधिक जलप्रवाह और नदी के तीव्र बहाव के कारण मोटरबोट को आगे बढ़ाना जोखिमपूर्ण हो गया था.

हालात को देखते हुए प्रशासन और एसडीईआरएफ ने तकनीक का सहारा लिया और ड्रोन की मदद से चारों युवकों तक लाइफ जैकेट पहुंचाई, जिसे उन्होंने पहन लिया. इसके साथ ही भोजन और पेयजल के पैकेट भी ड्रोन के माध्यम से उपलब्ध कराए गए. पूरी रात युवकों से मोबाइल पर लगातार संपर्क बनाए रखते हुए उनका मनोबल बढ़ाया गया.

इस दौरान प्रभारी कलेक्टर डॉ. नागार्जुन गौड़ा, पुलिस अधीक्षक अगम जैन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तरणेकर सहित एसडीईआरएफ इंदौर टीम के प्रभारी कंपनी कमांडर रोहन रायकवार, पुलिस, होमगार्ड और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में पूरी रात मौके पर डटे रहे. प्रशासन द्वारा सुकता बांध से अतिरिक्त पानी नहीं छोड़े जाने के संबंध में भी आवश्यक समन्वय किया गया और बैकअप के रूप में एनडीआरएफ उज्जैन की टीम को भी रवाना कर दिया गया था.

उपलब्धि: मध्यप्रदेश सिकल सेल एवं हीमोग्लोबिनोपैथीज़ नियंत्रण की दिशा में अग्रणी

समन्वित प्रयास से हीमोग्लोबिनोपैथीज़ का शीघ्र करेंगे उन्मूलन : शुक्ल

नव भारत न्यूज

भोपाल, 31 जुलाई. उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जनजागरूकता, जनभागीदारी, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया एवं अन्य हीमोग्लोबिनोपैथीज़ का शीघ्र उन्मूलन संभव है.

वे शुक्रवार को भोपाल में आयोजित 'स्टेट लेवल कंसल्टेशन मीटिंग ऑन हीमोग्लोबिनोपैथीज़ : संकल्प से समाधान' को संबोधित कर रहे थे. इस अवसर पर उन्होंने जनजागरूकता के लिए तैयार

आईईसी सामग्री का विमोचन भी किया. उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है. प्रदेश में अब तक 1.32 करोड़ से अधिक नागरिकों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और मध्यप्रदेश समय से पहले 100 प्रतिशत स्क्रीनिंग लक्ष्य हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बना है. वर्तमान में प्रदेश में 40,648 सिकल सेल रोगी, 2,44,761 वाहक, 1,178 थैलेसीमिया रोगी और 857 थैलेसीमिया वाहकों का पंजीयन कर उन्हें उपचार एवं परामर्श सेवाओं से जोड़ा गया है. राज्य में उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल, इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथी एंड हीमोफीलिया , सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तक मजबूत रेफरल एवं उपचार प्रणाली विकसित की गई है.

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इंटीग्रेटेड हीमोग्लोबिनोपैथीज़ केयर मॉडल के तहत सिकल सेल, थैलेसीमिया और अन्य रक्त विकारों की रोकथाम, शीघ्र पहचान, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक सुरक्षा को एकीकृत रूप से मजबूत किया जाएगा. यूनिवर्सल एएनसी स्क्रीनिंग, नवजात स्क्रीनिंग, प्री-मैरिटल जेनेटिक काउंसिलिंग, आधुनिक जांच सुविधाएं, सुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली को भी सुदृढ़ किया जाएगा.

चेक बाउंस मामले में भाजपा नेता के खिलाफ दोबारा गिरफ्तारी वारंट

भिण्ड, 31 जुलाई . मध्यप्रदेश बीज निगम के पूर्व उपाध्यक्ष एवं भाजपा नेता राजकुमार कुशवाहा की कानूनी मुश्किलें 25 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में बढ़ गई हैं.

अदालत में लगातार अनुपस्थित रहने पर भिण्ड न्यायालय ने उनके खिलाफ दोबारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. साथ ही पहले जारी वारंट की समय पर तामील नहीं होने पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. न्यायालय की 21 जुलाई 2026 की आदेश-पत्रिका के अनुसार सुनवाई के दौरान श्री कुशवाहा अदालत में उपस्थित नहीं हुए. इससे पहले भी उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, लेकिन पुलिस उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश नहीं करा सकी. इसे गंभीर मानते हुए अदालत ने दोबारा गिरफ्तारी वारंट जारी कर पुलिस को उसके तत्काल निष्पादन के निर्देश दिए हैं. प्रकरण 25 लाख रुपये के चेक बाउंस से संबंधित है. इस मामले में श्री कुशवाहा को पूर्व में जमानत मिल चुकी थी. जमानत की शर्तों के अनुसार उन्हें प्रत्येक सुनवाई पर न्यायालय में उपस्थित होना अनिवार्य था. लगातार अनुपस्थित रहने और न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया.

वन विभाग को हथियार दिए तो इस्तेमाल में क्यों पाबंदी : कोर्ट

हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह विभाग को अनावेदक बनाते हुए जारी किये नोटिस

जबलपुर. वन क्षेत्र में घूमने वाले शिकारियों व शरारती तत्वों के लोकेशन व मोबाइल डाटा की जानकारी प्रदान करने तथा कार्यवाही के दौरान वन अधिकारियों व कर्मचारियों की सुरक्षा के मुद्दे को गंभीरता से लिया है.

हाईकोर्ट जस्टिस आनंद पाठक तथा जस्टिस बी पी शर्मा की युगलपीठ ने याचिका में केन्द्रीय गृह मंत्रालय को अनावेदक बनाते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि धार जिले में बाओबाब के पेड़ को काटने, बिक्री करने तथा परिवहन की अनुमति दिये जाने के संबंध में प्रकाशित खबर को संज्ञान में लेते हुए मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप की जा रही थी। याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने जैव विविधता बोर्ड को निर्देशित किया है कि प्रदेश में स्थित बाओबाब पेड़ की फोटो के साथ रिपोर्ट पेश करो। कोर्ट मित्र अधिवक्ता की तरफ से युगलपीठ को बताया गया था कि केन्द्र वन विभाग ने वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को स्टैटिक डाटा का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।